


न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका ।
अर्जेन्ट संख्या-01 / 2023 धारा 144द0प्र0स0
प्रदीप मिंज वनाम निर्मल मांझी

आदेश

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date																							
	17/03/23	<p>अभिलेख उपस्थापित ।</p> <p>यह वाद आवेदक के आवेदन पत्र पर यह प्रक्रिया धारा 144द0प्र0स0 प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा ए० में</th> <th>उ०</th> <th>द०</th> <th>पू०</th> <th>प०</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">गड़ीया</td> <td>03</td> <td>296 / 857</td> <td>0.60</td> <td>संजोत मांझी</td> <td>प्र०प० नीज</td> <td>प्लॉट 296 का शेष भूमि</td> <td>प्लॉट 322 का भूमि</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>296 / 829</td> <td>0.60</td> <td>संजोत मांझी</td> <td>नीज प्रथम पक्ष</td> <td>प्लॉट 296 / 85 7 का भाग</td> <td>प्लॉट 322</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रथम पक्षकार का कहना है कि यह भूमि सहित अन्य प्लॉट की भूमि मिला कर कुल 7.43 एकड़ बुझारत द्वारा क्र० 7 दरखास्त नं० 47 द्वारा सन् 1957-1958 द्वारा भगवती मिंज वल्दी भूखा उरांव को बहुकुम जनाब प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भण्डरिया द्वारा भूमि का माल निर्धारण किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा माल निर्धारण किए जाने के उपरांत इसके आधार पर भगवती मिंज के नामें इस भूमि का मांग मांग पंजी रजिस्टर ॥ के पृष्ठ संख्या 39/1 पर दर्ज किया गया है। उसी वक्त ये भगवती मिंज इस भूमि पर दखल काबिज हुए एवं जीवन पर्यंत इस भूमि पर दखल कब्जे में रहते हुए जोत कोड़ करते हुए एवं खेतीबारी करते आ रहे हैं। भगवती मिंज का पुत्र भोजा मिंज हुए जो जीवन भर इस पर अपनी पिता की भूमि पर दखल काबिज रहे तथा भोला मिंज के पुत्र प्रथम पक्ष प्रदीप मिंज है। जो अपने पिता के बाद सम्पूर्ण अपने पुस्तैनी भूमि पर दखल काबिज है। साथ में इनके भाई बिजय मिंज, अजय मिंज, प्रदीप मिंज, मंदीप मिंज भी दखल कब्जे में चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा अपने दादा भगवती मिंज के नामें चले आ रहे मांग के अनुसार लगातार मालगुजारी अदा कर ऑफलाईन रसीद प्राप्त है। उक्त वर्णित भूमि प्रथम पक्ष का दखल कब्जा स्वामीत्व का जमीन है। जिस पर प्रथम पक्ष अपने दादा के जीवन काल से लेकर आज तक दखल काबिज है तथा तीन पुस्त के प्रथम पक्ष इस जमीन पर दखल चले आ रहे हैं। अंत में अनुरोध करते हैं कि वर्णित भूमि पर जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष प्रदीप मिंज से हटाई जाय एवं जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट किया जाए।</p> <p>द्वितीय पक्ष का कथन है कि सदस्यगण के माँ एवं पूर्वज जंगली भुईहर को ग्राम गड़िया पो० बड़गढ थाना भण्डरिया जिला गढ़वा झारखण्ड अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि के साथ-साथ अन्य भूमि हासिल है जो विगत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। जिसका व्यौरा इस प्रकार है- ग्राम गड़िया पो० बड़गढ जिला गढ़वा मौजा गड़िया का खाता संख्या पुराना 03 प्लॉट 296 (ख) रकबा 0.54 एकड़ नया खाता 73 प्लॉट संख्या 199,181 चौहदी उ० निज द्वितीय पक्ष द० रामनाथ भुईहर पु० विजय मिंज प० नीज उक्त भूमि द्वितीय पक्षकार के सदस्यों के दादा, रीपू भुईहर के दखल कब्जा में भूमि रही तथा दखल कब्जा में रहकर खेती बारी करते रहे इसी बीच हाल सर्वे में द्वितीय पक्षकारों के दादा रीपू भुईहर का दखल कब्जा पाकर अनावद बिहार सरकार एवं अवैध दखल कब्जा पाकर श्रीमान अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा एवं श्रीमान उप</p>	ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा ए० में	उ०	द०	पू०	प०	गड़ीया	03	296 / 857	0.60	संजोत मांझी	प्र०प० नीज	प्लॉट 296 का शेष भूमि	प्लॉट 322 का भूमि	03	296 / 829	0.60	संजोत मांझी	नीज प्रथम पक्ष	प्लॉट 296 / 85 7 का भाग	प्लॉट 322	
ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा ए० में	उ०	द०	पू०	प०																			
गड़ीया	03	296 / 857	0.60	संजोत मांझी	प्र०प० नीज	प्लॉट 296 का शेष भूमि	प्लॉट 322 का भूमि																			
	03	296 / 829	0.60	संजोत मांझी	नीज प्रथम पक्ष	प्लॉट 296 / 85 7 का भाग	प्लॉट 322																			

समाहर्ता भूमि सुधार गढ़वा तथा श्रीमान अचंल अधिकारी भण्डरिया ने विधिसम्मत जॉच पड़ताल के बाद जंगली भुईहर के नाम पर उक्त भूमि के साथ-साथ अन्य भूमि की बन्दोवस्ती वाद सं० 24/98-99 के माध्यम से बन्दोवस्त कर दिया गया साथ ही साथ उक्त रैयत जंगली भुईहर के नाम पर बन्दोवस्ती परवाना भी निर्गत भी कर दिया। उक्त रैयत साल दर साल मालगुजारी जमा कर सरकारी सिरिश्ते मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे है। हर साल खेतीबारी करते आ रहे है वर्तमान में उक्त जमीन द्वितीय पक्षकारों के हिस्से में है जिसके दखल कब्जा में पूर्ण रूप से बरकरार है। प्रथम पक्षकार के सदस्य ने श्रीमान के न्यायालय में ग्राम गड़ीया थाना भण्डरिया जिला गढ़वा के जिस खाता संख्या 03 पुराना प्लॉट के साथ-साथ प्लॉट 296/857 रकबा 0.60 एकड़ चौहदी उ० संजोत मांझी द० प्रथम पक्ष नीज पू० प्लॉट नं० 296 का शेष भाग प० प्लॉट 322 का शेष भाग खाता संख्या 03 प्लॉट पुराना के साथ-साथ नया प्लॉट 296/829 रकबा 0.60 एकड़ चौहदी उ० संजोत मांझी द० प्रथम पक्ष नीज पू० प्लॉट नं० 296/857 का भाग प० प्लॉट 322 का अपने आवेदन में दर्शाया गया है। यह अस्पष्ट है इससे द्वितीय पक्षकारो का कोई सरोकार नहीं है। अन्त अनुरोध करते है कि वाद की कार्यवाही तत्काल खारिज की जाए। साथ ही साथ प्रथम पक्षकार को द्वितीय पक्षकारों की जमीन पर जाने से रोकने की कृपा की जाए। अतः वाद की धारा 144द०प्र०स० की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसलिए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।


17-3-23
अनुमण्डल दफ्तराधिकारी,
रंका।